भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1326

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य योजनाओं के लिये आधार का उपयोग

1326. श्री के. मुरलीधरन:
श्री बैन्नी बेहनन:
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बीपीएल परिवारों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न स्वास्थ्य पहलों के लिए कितने लोगों की बायोमेट्रिक्स जानकारी एकत्र की गई है;

(ग) क्या बायोमेट्रिक्स, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, व्यक्तिगत जानकारी जैसे डेटा नागरिकों की सहमति प्राप्त करने के बाद एकत्र किए जा रहे हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(घ) डेटा को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों/ योजना के अनुसार उक्त संबंध में क्या कदम उठाए गए/ प्रस्तावित हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है जो 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। एबी-पीएमजेएवाई 'आधार अधिनियम' की धारा 7 के तहत अधिसूचित एक योजना है, जिसमें लाभार्थियों

को योजना के तहत सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ता है। ऐसे लाभार्थी जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार और आधार अधिनियम की धारा 7 के अनुपालन में लाभ या सेवाओं की प्रदायगी के लिए पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों की पेशकश की जाएगी।

एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थियों को आधार ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापित किया जाता है और सेवाओं का लाभ उठाते समय आधार प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ता है। 05.02.2024 की स्थिति के अनुसार, लगभग 29.2 करोड़ लाभार्थियों ने योजना के तहत एनएचए के आईटी प्लेटफॉर्म पर आधार प्रमाणीकरण कराया है। ई- केवाईसी/प्रमाणीकरण के दौरान, लाभार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, लिंग और पता जैसे विवरण एकत्र किए जाते हैं। इसके अलावा, उपचार के समय लाभार्थी के चिकित्सा विवरण एकत्र किए जाते हैं। हर बार डेटा एकत्र करने पर लाभार्थी की सहमति विधिवत दर्ज की जाती है। इस योजना के तहत एकत्र किए गए डेटा सुरक्षित है और स्थापित अनुप्रयोग डेटा सुरक्षा मानदंडों के अनुसार एक एन्क्रिप्टेड रूप में डेटा वेयरहाउस में संग्रहीत किया जाता है।

*****